# नगर विकास न्यास, कोटा

## आवेदन पुस्तिका

क्रमांक -

**श्रीमती वसुन्धरा राजे**
मुख्य मंत्री
राजस्थान सरकार

COMPLEMENTARY COPY

## मुख्यमंत्री जन आवास योजनान्तर्गत

# पार्थ अपार्टमेन्ट-देवली अरब

में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के आवासों ( जी+3 ) का आवंटन

**श्री श्रीचन्द कृपलानी**
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री
राजस्थान सरकार

आवेदन पत्र विक्रय आरम्भ करने की तिथि

**17 जनवरी 2017**

आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि

**18 फरवरी 2017**

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवास पर 1.50 लाख के अनुदान एवं अल्प आय वर्ग के आवास के लिए 6.50 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु यह योजना केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करना प्रस्तावित है।

**300/-**

# नगर विकास न्यास, कोटा

## आवेदन पत्र के साथ

1. आवेदन पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर उल्लेखित बैंक O.B.C. के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है। पूर्ण फार्म मय देय पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट

   **सचिव नगर विकास न्यास, कोटा**

   के नाम से उक्त बैंक में जमा होंगे।
2. आयु/जन्म प्रमाण–पत्र
3. आवेदक अपने खाते का एक Cancelled Cheque CTS 2010 सलंग्न करें।
4. आय प्रमाण–पत्र
5. निवास प्रमाण–पत्र
6. अगर आरक्षित वर्ग की श्रेणी में आवेदन किया है तो सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
7. फोटो पहचान–पत्र
8. 1,00,000 की जनसंख्या वाले शहर में लीजहोल्ड/फ्री होल्ड का भूखण्ड/आवास नहीं होने का स्व. घोषणा पत्र।

आवेदन पुस्तिका अन्तिम पृष्ठ पर उल्लेखित **O.B.C.** की कोटा शहर स्थित सभी शाखाओं से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र मय देय राशि पंजीयन राशि एवं प्रशासनिक शुल्क जरिये सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के नाम से देय ड्राफ्ट एवं वांछित दस्तावेजों के उक्त बैंक में जमा करवाये जा सकते है।

## ध्यान देने योग्य बातें......

1. अनुमोदित आवासीय योजनाओं में ही भूखण्ड खरीदे।
2. नियमानुसार नियमन शुल्क जमा करवाकर पट्टा प्राप्त करें।
3. नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करावें।
4. नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर भूखण्डों का हस्तान्तरण करें।
5. अवैध अनियमित योजनाओं में भूखण्ड नहीं खरीदें।
6. कोई भी भूखण्ड खरीदने से पूर्व बेचानकर्ता / विकासकर्ता / डीलर से न्यास द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान मांगें।
7. भूखण्ड खरीदने से पूर्व ले आउट प्लान अवश्य देखें, निर्धारित शुल्क पर भुगतान कर नगर विकास न्यास से लेआउट प्लान की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है।
8. अनुमोदित योजनाओं के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु न्यास की भूमि रूपान्तरण शाखा से सम्पर्क करें।

कृपया अपनी संस्कृति एवं पर्यावरण से प्रेम करें एवं इसकी रक्षा करें।

नगर विकास न्यास, कोटा

Ph. : 0744 2500567

kotauit@yahoo.com www.uitkota.org

आवेदन पत्र दिनांक 17-01-2017 से 18-02-2017 तक रू.300/- के शुल्क पर **O.B.C** की निम्नलिखित शाखाओं से बैंक समय प्रात: 10:00 से अपरान्ह 5:00 तक प्राप्त किये जा सकते हैं तथा इसी अवधि में निम्न बैंक शाखाओं में जमा करवाये जा सकतें है।

## ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
जहां प्रत्येक कर्मचारी प्रतिबद्ध है

## Oriental Bank of Commerce
(A Government of India Undertaking)
*Where every individual is committed*

| क्रम सं0 | मैनेजर का नाम | मोबाईल नम्बर | लैण्डलाईन नम्बर | पता |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री वी एस यादव | 9460173571<br>9460312718 | 0744-2500603 | यू आई टी परिसर, सी.ए.डी. सर्किल के पास, कोटा-324009। |
| 2. | श्री ए. एच. जालोरी | 9413442377 | 0744-2501937 | एरोड्राम सर्किल, कोटा-324007। |
| 3. | श्री अनिल गुप्ता | 9414585254<br>9057385858 | 0744-2470745 | कोटा खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड़ कोटा-324007। |
| 4 | कुंवर लक्ष्मण सिंह | 9829851090 | 0744-2423068 | रिको सामुदायिक भवन के सामने, इन्द्रा विहार कोटा-324005। |
| 5 | श्री मनोज जोशी | 8295999887 | 0744-2490353 | कृषि उपजमण्डी समिति परिसर, अनन्तपुरा कोटा-324005। |
| 6 | श्री एस.एन. अग्रवाल | 9460872763 | 07459-221410 | सेठिया सीमेंट कम्पनी, सुकेत रोड़, सुवधा नगर के सामने, रामगंजमण्डी-332715। |
| 7 | श्री दीपेन्द्र सिंह | 9602048585 | 0747-2447375 | लंका गेट, रैन बसेरा के सामने बून्दी-323001। |
| 8 | श्री नीरज तिवारी | 9783303499 | 0747-2438150 | कोटा बून्दी हाईव, आई ओ सी पेट्रोल पम्प के पास तालेड़ा-323001। |
| 9 | श्री संदीप सिंह | 9649276961 | 07453-230911 | बारां- 325205। |
| 10 | श्री नीलेश झा | 9413551595 | 07432-240984 | चौपड़िया बाजार झालरापाटन सिटी- 326023। |

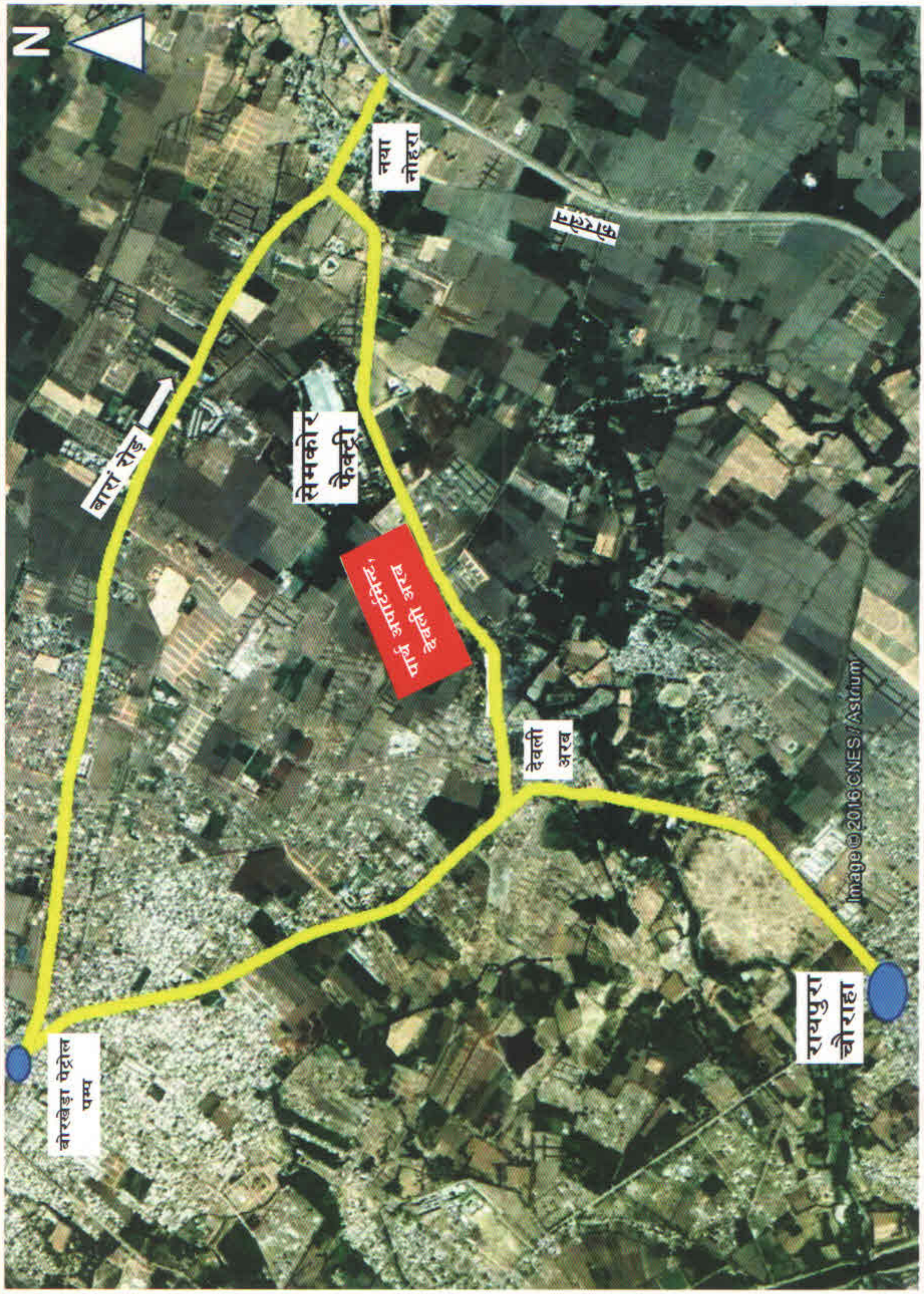


मुद्रकः तिरुपति ऑफसेट प्रिन्टर्स प्रा. लि., 5-बी-46, विज्ञान नगर, कोटा फोन : 2420103

# मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 1A के अर्न्तगत पार्थ अपार्टमेन्ट-देवली अरब मे आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के आवासों के पंजीकरण हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्तें

## 1. प्रस्तावना

भारत की लगभग 26% शहरी आबादी अभी भी ऐसी आमदनी पर जीवन यापन कर रही है जो कि गरीबी रेखा से नीचे है उनमें ज्यादातर लोग गंदी बस्ती और छोटे घनत्व (बसावट) में अमानवीय परिस्थितियों में रहते है। ये लोग सम्मानित जीवन, आश्रय, सुरक्षा, मूलभूत सुविधाओं और सामाजिक सेवाओं के अधिकारों से वंचित है। इनकी आमदनी का 80% हिस्सा खान–पान में खर्च हो जाता है और जीवन निर्वाह हेतु अन्य आवश्यकताओं जैसे आवास आदि के लिए बहुत कम हिस्सा बचता है। भूमि एवं निर्माण लागत में अत्याधिक वृद्धि के कारण ये लोग मूलभूत सुविधाओं से युक्त योजना में आवास की व्यवस्था नहीं कर सकते और मलिन बस्तियों के अस्वच्छ वातावरण में रहनें को मजबूर हो जाते है। देश की करीब एक तिहाई शहरी आबादी कच्ची बस्तियों में रहती है ।

अतः शहरी निर्धन वर्ग को वहनीय (अफोर्डेबल) कीमत पर आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 लागू की गई है, ताकि शहरी निर्धन वर्ग को मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज, आदि से युक्त योजनाओं में कम कीमत पर पक्के आवास उपलब्ध कराये जा सके । इस क्रम में नगर विकास न्यास कोटा द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान 1A के अर्न्तगत पार्थ अपार्टमेन्ट–देवली अरब में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के आवास निर्माण हेतु योजना स्वीकृत की गई है।

पार्थ अपार्टमेन्ट देवली अरब गांव के समीप एवं देवली अरब से नया नोहरा (160फीट) सड़क पर स्थित है। निम्न स्थानों से योजना की दूरी निम्नानुसार है : –

तालिका 'अ'

| स्थान | दूरी |
|---|---|
| 1. रायपुरा चौराहा से | लगभग 2.50 कि. मी. |
| 2. बोरखेड़ा पेट्रोल पम्प से | लगभग 3.00 कि. मी |
| 3. बारां रोड़ से (नया नोहरा) | लगभग 2.50 कि.मी. |

## 2. पंजीकरण एवं प्रशासनिक शुल्क

2.1 आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रकार से प्रशासनिक शुल्क एवं पंजीकरण राशि **सचिव नगर विकास न्यास, कोटा** के नाम से कोटा शहर में देय डी.डी. / पे ऑडर के रूप में जमा करवानी होगी।

तालिका 'ब'

| क्र.सं. | आय वर्ग | प्रशासनिक | पंजीकरण | कुल देय राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग | 2000/- | 10,000/- | 12,000/- |
| 2. | अल्प आय वर्ग | 3500/- | 20,000/- | 23,500/- |

**2.1 योजना में सफल आवेदकों द्वारा जमा करवाया गया प्रशासनिक शुल्क आवास लागत में सम्मिलित नही होगा एवं न ही लौटाया जायेगा। पंजीकरण राशि को आवास की लागत में समायोजित कर दिया जावेगा । पंजीकरण राशि पर ब्याज देय नहीं होगा। असफल आवेदकों को भी जमा प्रशासनिक शुल्क नहीं लौटाया जायेगा, केवल पंजीकरण राशि ही लौटायी जायेगी।**

2.2 आवंटन के समय उपलब्धता के अनुसार आवासों की संख्या घट या बढ सकती है।

## 3. आवासों की संख्या एवं कीमत

योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध आवासों की संख्या एवं अनुमानित कीमत का विवरण निम्नानुसार है

तालिका 'स'

| क्र.सं. | आय वर्ग | उपलब्ध आवासों की संख्या | आवासों की अनुमानित कीमत (रूपये) |
|---|---|---|---|
| 1. | आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग | 216 | 4.20 लाख |
| 2. | अल्प आय वर्ग | 80 | 6.30 लाख |

3.1 **आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवास पर प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत रू. 1.50 लाख प्रति आवास का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। अल्प आय वर्ग के आवास पर प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत 6.50 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है।**

## 4. आवेदक की पात्रता

4.1 निम्नलिखित वार्षिक आय की सीमा के अनुसार आवेदक योजना हेतु पात्र होंगे

तालिका 'द'

| क्र.सं. | आय वर्ग | वार्षिक आय |
|---|---|---|
| 1. | आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग | रू. 1.50 लाख तक |
| 2. | अल्प आय वर्ग | रू. 1.50 से 3.00 लाख तक |

4.2 राजस्थान राज्य के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा योजना में आवंटन हेतु आवेदन किया जा सकता है।

4.3 आवेदक का कोटा या 1,00,000 से अधिक आबादी वाले राजस्थान के किसी भी शहर में स्वयं का अथवा परिवार के किसी आश्रित सदस्य का आशिंक अथवा पूर्ण अधिकृत लीज या फ्री होल्ड आधार पर आवास/भूखण्ड नही होना चाहिये।

4.4 आवेदक व्यस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदन पत्र जमा कराने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिये।

## 5. आवेदन भरने की प्रक्रिया

5.1 **आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त कर अन्तिम दिनांक तक उक्त बैंक में जमा करवाये जा सकतें है।**

5.2 आवेदन पुस्तिका में निर्धारित फार्म प्रारूप में समस्त जानकारियां शुद्ध हिन्दी में एवं स्पष्ट मोटे अक्षरों में लिखे। प्रत्येक कटिंग पर हस्ताक्षर करें, आवेदन पत्र में टेलीफोन नं0/मोबाईल नं0 लिखें तथा निर्धारित कॉलम में आवेदक के नाम का बैंक खाता संख्या तथा बैंक का नाम लिखें।

5.3 आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का स्व प्रमाणित फोटो अच्छी तरह से चिपकाऐं।

5.4 आवेदन पत्र जमा कराने के पश्चात् पते में परिवर्तन के अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

5.5 आवेदक आवेदन पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति करे जो कॉलम लागू नही होता हो उसे स्पष्ट रूप से X (नहीं) अंकित करें।

5.6 आरक्षण हेतु निर्धारित कॉलम में अपनी श्रेणी इंगित करें

5.7 आवेदक डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर के पीछे अपना नाम, चालान क्रमांक एवं मोबाईल नम्बर का उल्लेख अवश्य करें।

5.8 आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें।

i) प्रशासनिक एवं पंजीयन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट छायाप्रति के साथ
ii) बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति या रद्द चैक
iii) आयु/जन्म प्रमाण पत्र
iv) स्व घोषणा पत्र
v) आय प्रमाण पत्र
vi) आधार कार्ड *
vii) राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र/राशन कार्ड
viii) विशिष्ठ श्रेणी में आवेदन हेतु नियत प्रमाण–पत्र।

*सही जानकारी देने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।*

* *आधार कार्ड नही होने की स्थिति में आवेदक अन्य फोटो पहचान पत्र सलग्न कर सकता है परन्तु प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु आधार कार्ड आवश्यक है।*

## 6. आवास आवंटन हेतु विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण व्यवस्था

6.1 योजना में आय वर्गानुसार उपलब्ध आवासों का आरक्षण निम्नानुसार किया गया है। आवेदक किसी एक श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है।

### तालिका 'य'

| राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी | अनु. जनजाति | अनु. जाति | विकलांग | अधिस्वीकृत पत्रकार | सैनिक / सेवानिवृत सैनिक एवं सैनिकों की विधवाऐं | | | अनारक्षित श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 10% | | | |
| | | | | | शहीद सैनिक की विधवा एवं आश्रित (अ) | सैनिक विकलांग (ब) | अन्य सैनिक (स) | |
| 10% | 6% | 9% | 3 % | 2% | | | | 60 % |

6.2 किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष आवासों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आय वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।

6.3 किसी आरक्षित वर्ग में आरक्षण कोटे के प्रतिशत के अनुसार आवास उपलब्ध नहीं होने की स्थिती में उस आरक्षित वर्ग के आवेदनों को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

6.4 जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजकीय विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायो व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत हैं उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा । ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को पृथक से undertaking देनी होगी कि परिवीक्षा अवधि पूर्ण नही करने की स्थिती में आवंटित आवास वापस न्यास को सौपना होगा। केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के उपक्रमो के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित आवासों के लिये आवेदन हेतु पात्र नहीं होगे।

6.5 अनु. जाति/अनु. जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है, जो राजस्थान की जनगणना में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्तियों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.6 विकलांग व्यक्ति वे हैं, जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके हैं, तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य हो।

6.7 अधिस्वीकृत पत्रकार वे हैं, जिन्हे राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हो।

6.8 सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.) में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं सैनिक विधवाओं से है।

6.9 आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार से केवल मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।

6.10 सैनिक को पूर्व में किसी यूआई.टी./जविप्रा/अन्य स्थानीय निकाय की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई भूखण्ड आवंटित होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य भूखण्ड आंवटन हेतु आवेदन के पात्र नहीं होगे।

6.11 मृतक सैनिक के परिवार से केवल परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगें।

6.12 सैनिक कोटे में आरक्षित भूखण्डों हेतु आवेदक को परिशिष्ठ प्रारूप अनुसार स्व घोषणा पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

6.13 सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है।) के लिये आरक्षित भूखण्डो का आवंटम उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।

अ. उन सैनिकों की विधवाये एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ. के उन कार्मिकों की विधवाएं एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।

ब. विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)

स. अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आई.एस.एफ एवं सी.आर.पी.एफ.)

6.14 विकलांगो (निःशक्तजनों) के लिए शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के तहत 3% आरक्षण निर्धारित किया हुआ है।

## 7. आवास का विवरण

उपरोक्त आवासों में निर्मित किये गये सुपर बिल्ट–अप क्षेत्रफल एवं सुविधाओं का विवरण निम्न प्रकार है:–

तालिका 'र'

| क्र.सं. | आय वर्ग | निर्मित क्षेत्रफल ( सुपर बिल्ट–अप) | कमरे | किचन | शौचालय | स्नानघर | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) | 347 वर्ग फीट | 2 | 1 | 1 | 1 | बालकनी |
| 2. | अल्प आर्य वर्ग (LIG) | 521 वर्ग फीट | 3 | 1 | 1 | 1 | बालकनी |

- निर्मित क्षैत्रफल में फ्लेट्स का प्लिंथ एरिया, कॉमन सुविधा यथा लॉबी आदि का समानुपातिक क्षेत्र सम्मिलित है।

## 8. आवंटन की प्रक्रिया

8.1 आवेदन पत्रों की संवीक्षा तथा प्रशासनिक एवं पंजीकरण शुल्क जमा कराने के आधार पर पात्रता के सत्यापन पश्चात् लॉटरी द्वारा सफल आवेदकों का चयन (वरीयता निर्धारण) किया जायेगा ।

8.2 उपलब्ध आवासों की संख्या के 10प्रतिशत ( कम से कम एक आवास) के समतुल्य आवेदकों की प्रतीक्षा सूची का भी चयन लाटरी द्वारा किया जावेगा। यह प्रतीक्षा सूची सफल आवेदकों को जारी मांग पत्र की तिथी से 18 माह तक वैध होगी।

8.3 सफल आवेदकों को आवास की कीमत जमा कराने हेतु प्रोविजनल आवंटन पत्र/मांग पत्र जारी किया जायेगा। निर्धारित अवधि में मांग राशि जमा नही करवाने पर राशि जमा कराने में असमर्थ रहे Defaulter आवेदकों का आवंटन निरस्त कर प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को प्रोविजनल आवंटन पत्र/मांग पत्र जारी किये जायेंगे।

8.4 मांग पत्र के अनुसार सम्पूर्ण देय राशि जमा कराने पर आवास निर्माण के पश्चात् आवंटी को आवास आवंटन किया जायेगा।

8.5 लाटरी में असफल आवंटियों को प्रशासनिक शुल्क काटकर पंजीकरण राशि बिना ब्याज लौटा दी जावेगी।

## 9. आवास की कीमत का भुगतान

9.1 पंजीकरण राशि समायोजन के पश्चात् आवास की कीमत की शेष देय राशि का विवरण निम्नानुसार है।

तालिका 'ल'

| क्र.सं. 1 | आय वर्ग 2 | आवास की लागत 3 | पंजीयन राशि 4 | साइट प्लान 5 | कुल देय राशि (3-4+5) 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग | 4,20,000.00 | (-)10,000.00 | (+) 200.00 | 4,10,200.00 |
| 2. | अल्प आर्य वर्ग | 6,30,000.00 | (-)20,000.00 | (+) 200.00 | 6,10,200.00 |

9.2 देय राशि निम्नानुसार आठ किश्तों में जमा करवानी है।

तालिका 'ब'

| क्र.सं. | पूर्वग्रहण राशि की किश्तें | आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग | अल्प आय वर्ग |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रथम किश्त प्रोविजनल आवंटन जारी होने के 30 दिवस में | 60,200.00 | 75,000.00 |
| 2. | द्वितीय किश्त प्रोविजनल आवंटन जारी होने के 120 दिवस | 50,000.00 | 75,000.00 |
| 3. | तृतीय किश्त प्रोविजनल आवंटन जारी होने के 210 दिवस | 50,000.00 | 75,000.00 |
| 4. | चतुर्थ किश्त प्रोविजनल आवंटन जारी होने के 300 दिवस | 50,000.00 | 75,000.00 |
| 5. | पंचम किश्त प्रोविजनल आवंटन जारी होने के 390 दिवस | 50,000.00 | 75,000.00 |
| 6. | षष्ठम् किश्त प्रोविजनल आवंटन जारी होने के 480 दिवस | 60,000.00 | 75,000.00 |
| 7. | सप्तम् किश्त प्रोविजनल आवंटन जारी होने के 570 दिवस | 60,000.00 | 75,000.00 |
| 8. | अष्टम् किश्त प्रोविजनल आवंटन जारी होने के 660 दिवस | 30,000.00 | 85,200.00 |
| | कुल देय राशि | 4,10,200.00 | 6,10,200.00 |

9.3 अल्प आय वर्ग के आवंटी प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रावधान ऋण आधारित सब्सिडी योजना (Credit Linked subsidy scheme) के तहत रियायती ब्याज दर पर रू. 6.00 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकता है

9.4 सफल आवेदक द्वारा आवास पर ऋण चाहने पर न्यास द्वारा बैंक/सरकारी वित्तीय संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी कर दिया जावेगा । अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये आवंटी को सम्बन्धित बैंक,सरकारी वित्तीय संस्थाओं का पत्र प्रस्तुत करना होगा, परन्तु समय पर राशि जमा कराने की जिम्मेदारी स्वंय आंवटी की होगी।

# PARTH APARTMENT-DEOLI ARAB

## TYPICAL FLOOR BLOCK PLAN

ChiefMinister's Jan Awas Yojana-2015

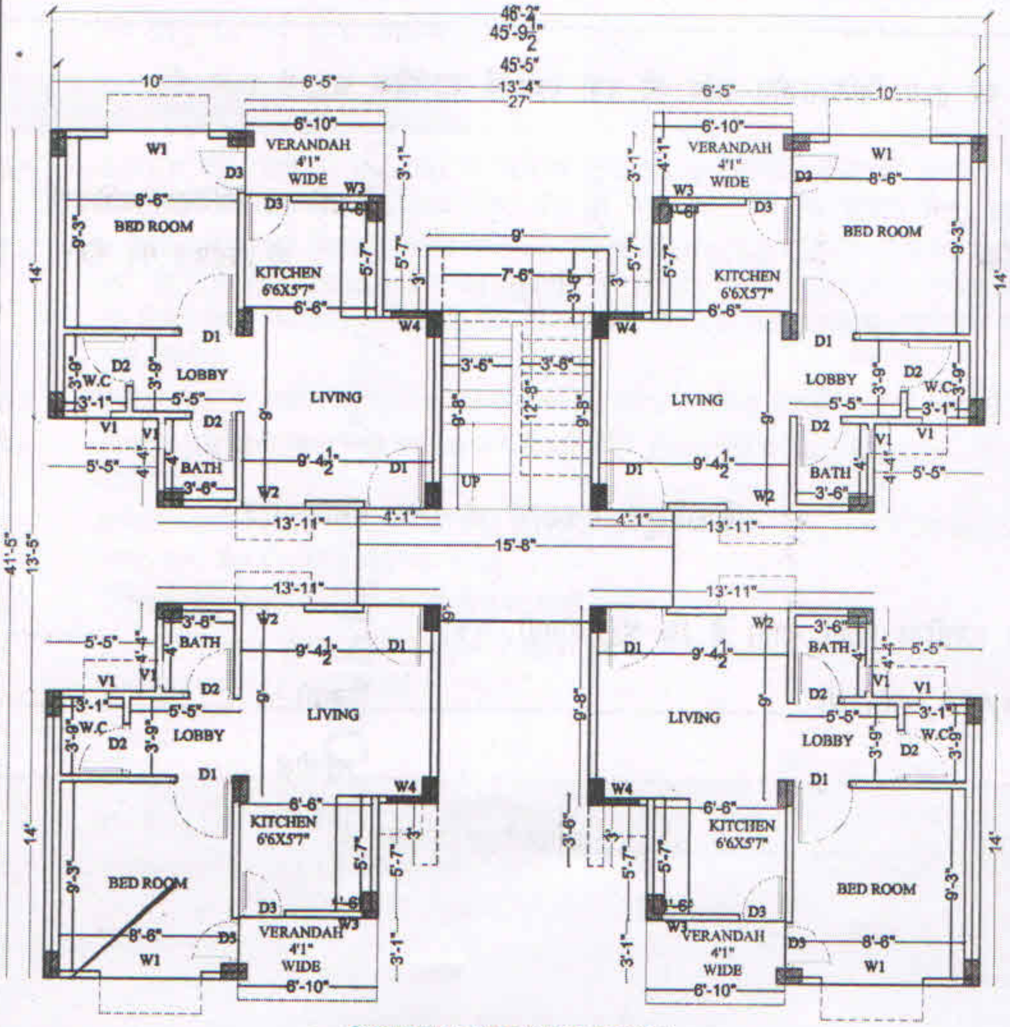


ONE BED ROOM SET (E.W.S.)

# PARTH APARTMENT-DEOLI ARAB

## TYPICAL BLOCK FLOOR PLAN

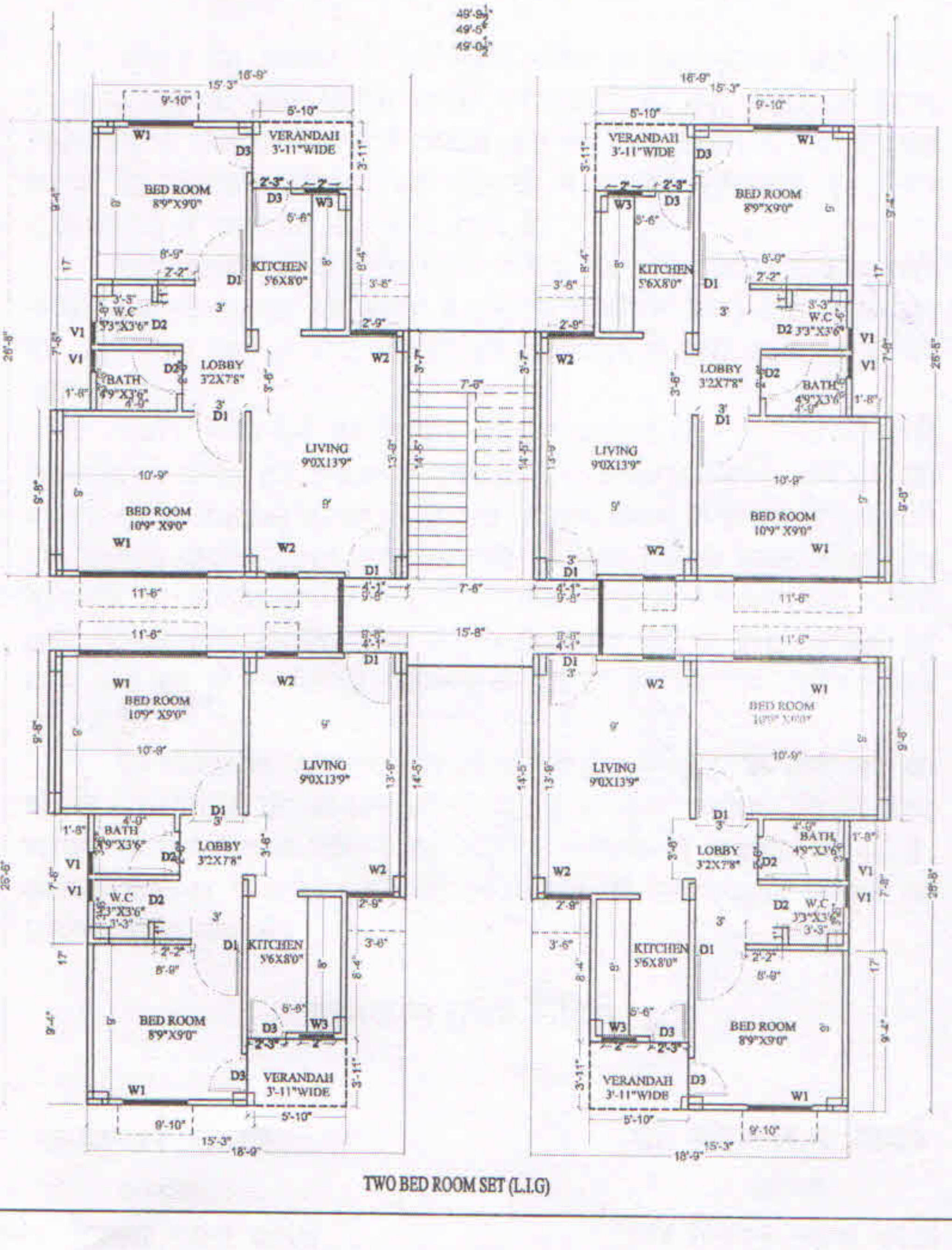


TWO BED ROOM SET (L.I.G)

आवेदन क्रमांक

# नगर विकास न्यास, कोटा

नवीनतम रंगीन स्वप्रमाणित फोटो

## आवेदन - पत्र

## मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 1A के अन्तर्गत

## पार्थ अपार्टमेन्ट-देवली अरब में आवास आवंटन हेतु

1. आवेदक का नाम ..............................
2. पिता/पति का नाम ..............................
3. जन्म तिथि ..............................
4. राष्ट्रीयता ..............................
5. व्यवसाय का नाम एवं स्वरूप ..............................
6. पत्र व्यवहार का पता ..............................

   ..............................पिन कोड नं. ..............................मोबाइल नं. (आवश्यक)..............................
7. आवेदक के बैंक खाते का विवरण :- खाता संख्या .............................. IFSC Code..............................

   बैंक का नाम एवं शाखा..............................
8. आवेदक/आवेदिका की कुल वार्षिक आय (रू. मैं) ..............................

   (अ) स्वयं की ..............................

   (ब) आश्रितों की आय .............................. कुल वार्षिक आय (अ+ब) : ..............................
9. आय वर्ग (किसी एक पर चिन्हित करें।)
   1. **आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग** **(EWS)** ( )
   2. अल्प आय वर्ग **(LIG)** ( )
10. प्रशासनिक शुल्क एवं पंजीकरण राशि..............................बैंक ड्राफ्ट सं. ..............................दिनांक ..............................

    बैंक का नाम ..............................
11. आरक्षित वर्ग में आवंटन हेतु

    निम्नांकित तालिका में अपना वर्ग (किसी एक श्रेणी में) इंगित करें (प्रमाण - पत्र संलग्न करें)

    राज्य सरकार के कर्मचारी — अनु जाति (SC)

    अनु जनजाति (ST) — भू. पू. सैनिक/सैनिकों की विधवा

    विकलांग — अधिस्वीकृत पत्रकार
12. निम्न दस्तावेज संलग्न करें।

| | | | |
|---|---|---|---|
| प्रशासनिक शुल्क का बैंक ड्राफ्ट छायाप्रति के साथ | ( ) | बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति या रद्द चैक (CTS2010) | ( ) |
| आयु /जन्म प्रमाण पत्र | ( ) | स्व-घोषणा पत्र | ( ) |
| आय प्रमाण पत्र | ( ) | फोटो पहचान पत्र | ( ) |
| राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण/राशन कार्ड | ( ) | विशिष्ठ श्रेणी में आवेदन हेतु नियत प्रमाण-पत्र संलग्न | ( ) |

13. क्या स्वयं अथवा आश्रित संबंधी के पास पूर्णतया भाग के रूप में कोई फी होल्ड पट्टे पर कोटा मे आवासीय भूखण्ड या मकान है या हाँ तो उसका विवरण.

    ..............................
14. सत्यनिष्ठा कथन :

    क. मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नही गया है।

    ख. मैं इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये पंजीकरण के अनुबन्धों एवं शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ लिया तथा समझ लिया है और मैं उनका पालन किये जाने के लिए सहमत हूँ।

    ग. मेरा या मेरे आश्रितों का शहर क्षेत्र जिसमें पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ मैं पूर्णतया अथवा भाग रूप में, फी होल्ड या पट्टे के आधार पर प्लाट या आवास नहीं है।

COMPLEMENTARY COPY

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

---

क्रमांक :

# नगर विकास न्यास, कोटा

## मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 1A के अन्तर्गत

## पार्थ अपार्टमेन्ट-देवली अरब में आवास आवंटन हेतु

प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये

नाम व पता

| | |
|---|---|
| | |
| | जमा राशि .............................. |
| | बैंक व शाखा का नाम O.B.C |
| | जमा करने की तिथि .............................. |

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मय सील

खाता संख्या –11342191047799
O.B.C
नगर विकास न्यास, कोटा
चतुर्थ प्रति
(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक ..............

आवेदक का नाम ........................................
पिता/पति का नाम ...................
........................................................
पता ................................................
........................................................

मुख्यमंत्री जन आवास योजनान्तर्गत
**पार्थ अपार्टमेन्ट-देवली अरब**
आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग **EWS**

| विवरण | रूपये |
|---|---|
| प्रशासनिक शुल्क | 2,000/- |
| पंजीकरण राशि | 10,000/- |
| बैंक ड्राफ्ट नं0.......................... | |
| जारीकर्ता बैंक.......................... | |
| योग :– | 12000/- |

अक्षरे रूपये बारह हजार मात्र

आवेदक के हस्ताक्षर

---

खाता संख्या – 11342191047799
O.B.C
नगर विकास न्यास, कोटा
तृतीय प्रति
(बैंक द्वारा स्टेट्रमेंट के साथ यू0आई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं. दिनांक ..............

आवेदक का नाम ........................................
पिता/पति का नाम ...................
........................................................
पता ................................................
........................................................

मुख्यमंत्री जन आवास योजनान्तर्गत
**पार्थ अपार्टमेन्ट-देवली अरब**
आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग **EWS**

| विवरण | रूपये |
|---|---|
| प्रशासनिक शुल्क | 2,000/- |
| पंजीकरण राशि | 10,000/- |
| बैंक ड्राफ्ट नं0.......................... | |
| जारीकर्ता बैंक.......................... | |
| योग :– | 12000/- |

अक्षरे रूपये बारह हजार मात्र

आवेदक के हस्ताक्षर

---

खाता संख्या – 11342191047799
O.B.C
नगर विकास न्यास, कोटा
द्वितीय प्रति
(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

चालान नं. दिनांक ..............

आवेदक का नाम ........................................
पिता/पति का नाम ...................
........................................................
पता ................................................
........................................................

मुख्यमंत्री जन आवास योजनान्तर्गत
**पार्थ अपार्टमेन्ट-देवली अरब**
आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग **EWS**

| विवरण | रूपये |
|---|---|
| प्रशासनिक शुल्क | 2,000/- |
| पंजीकरण राशि | 10,000/- |
| बैंक ड्राफ्ट नं0.......................... | |
| जारीकर्ता बैंक.......................... | |
| योग :– | 12000/- |

COMPLEMENTARY COPY

अक्षरे रूपये बारह हजार मात्र

आवेदक के हस्ताक्षर

---

खाता संख्या –1134219104
O.B.C
नगर विकास न्यास, को
प्रथम प्रति
(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रख

चालान नं. दिनां

आवेदक का नाम ....................
पिता/पति का नाम ...................
........................................................
पता ................................................
........................................................

मुख्यमंत्री जन आवास योजनान्त
**पार्थ अपार्टमेन्ट-देवली अ**
आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग **E**

| विवरण | |
|---|---|
| प्रशासनिक शुल्क | |
| पंजीकरण राशि | |
| बैंक ड्राफ्ट नं0.......................... | |
| जारीकर्ता बैंक.......................... | |
| योग :– | 12 |

अक्षरे रूपये बारह हजार मात्र

आवेदक के

ा संख्या –11342191047799
O.B.C
नगर विकास न्यास, कोटा
चतुर्थ प्रति
(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

लान नं. दिनांक ..............
ावेदक का नाम ..........................................
ता/पति का नाम ...................
..........................................
ता ..........................................
..........................................

मुख्यमंत्री जन आवास योजनान्तर्गत
पार्थ अपार्टमेन्ट–देवली अरब
अल्प आर्य आय वर्ग **LIG**

| विवरण | रूपये |
|---|---|
| ासनिक शुल्क | 3500/- |
| जीकरण राशि | 20,000/- |
| ड्राफ्ट नं0.......................... | |
| ीकर्ता बैंक.......................... | |
| योग :– | 23500/- |

रे रूपये तैईस हजार पांच सौ मात्र

आवेदक के हस्ताक्षर

---

खाता संख्या – 11342191047799
O.B.C
नगर विकास न्यास, कोटा
तृतीय प्रति
(बैंक द्वारा स्टेट्रमेंट के साथ यू0आई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं. दिनांक ..............
आवेदक का नाम ..........................................
पिता/पति का नाम ...................
..........................................
पता ..........................................
..........................................

मुख्यमंत्री जन आवास योजनान्तर्गत
पार्थ अपार्टमेन्ट–देवली अरब
अल्प आर्य आय वर्ग **LIG**

| विवरण | रूपये |
|---|---|
| प्रशासनिक शुल्क | 3500/- |
| पंजीकरण राशि | 20,000/- |
| बैंक ड्राफ्ट नं0.......................... | |
| जारीकर्ता बैंक.......................... | |
| योग :– | 23500/- |

अक्षरे रूपये तैईस हजार पांच सौ मात्र

आवेदक के हस्ताक्षर

---

खाता संख्या – 11342191047799
O.B.C
नगर विकास न्यास, कोटा
द्वितीय प्रति
(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

COMPLEMENTARY COPY

चालान नं. दिनांक ..............
आवेदक का नाम ..........................................
पिता/पति का नाम ...................
..........................................
पता ..........................................
..........................................

मुख्यमंत्री जन आवास योजनान्तर्गत
पार्थ अपार्टमेन्ट–देवली अरब
अल्प आर्य आय वर्ग **LIG**

| विवरण | रूपये |
|---|---|
| प्रशासनिक शुल्क | 3500/- |
| पंजीकरण राशि | 20,000/- |
| बैंक ड्राफ्ट नं0.......................... | |
| जारीकर्ता बैंक.......................... | |
| योग :– | 23500/- |

अक्षरे रूपये तैईस हजार पांच सौ मात्र

आवेदक के हस्ताक्षर

---

खाता संख्या –11342191047799
O.B.C
नगर विकास न्यास, कोटा
प्रथम प्रति
(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....
आवेदक का नाम ..........................................
पिता/पति का नाम ...................
..........................................
पता ..........................................
..........................................

मुख्यमंत्री जन आवास योजनान्तर्गत
पार्थ अपार्टमेन्ट–देवली अरब
अल्प आर्य आय वर्ग **LIG**

| विवरण | रूपये |
|---|---|
| प्रशासनिक शुल्क | 35 |
| पंजीकरण राशि | 20,0 |
| बैंक ड्राफ्ट नं0.......................... | |
| जारीकर्ता बैंक.......................... | |
| योग :– | 23500/ |

अक्षरे रूपये तैईस हजार पांच सौ मात्र

आवेदक के हस्